

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत दिये गये नियमों का अनुपालन किया जाता है।

- 10— सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।
- 11— सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।
- 12— सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।
- 13— सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।
- 14— सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।
- 15— सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

16— परिक्षेत्र स्तर पर जनसूचना अधिकारी/सहायक जनसूचना अधिकारी के पदनाम एवं कार्यों का विवरणः—

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	कार्य
1—	श्री सत्यनारायण के०	पुलिस महानिरीक्षक / अपीलीय अधिकारी	पर्यवेक्षण अधिकारी
2—	श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव	निरीक्षक(लिपिक) / प्रधान लिपिक नोडल अधिकारी / जनसूचना अधिकारी	1—जनसूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत व्यक्तियों / संस्थाओं द्वारा मांगी गयी सूचनाओं को अधीनस्थ जनपदों से प्राप्त कर सम्बन्धित को उपलब्ध कराना एवं सूचना का अधिकार अधिनियम- 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत सम्बन्धित जनपदों को आन्तरित किया जाना या सूचनायें प्राप्त कर सम्बन्धित को निर्धारित समय में उपलब्ध कराना। 2—जनसूचना से सम्बन्धित समस्त कार्य करना (समस्त अभिलेखों का रख-रखाव करना, आलेख प्रस्तुत करना, अनुस्मारक निर्गत करना एवं समस्त दस्तावेजों को कम्प्यूटर में अद्यतन करना।
3—	श्री करन सिंह	उपनिरीक्षक(लिपिक) / सहायक लिपिक द्वितीय सहायक जनसूचना अधिकारी	जनसूचना अधिकारी को अपनी शाखा से सम्बन्धित सूचना समय से उपलब्ध कराना।

- 17— सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

(क) 19॥ 20

जन सूचना अधिकारी  
कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक,  
चित्रकूटधाम परिक्षेत्र, बॉदा।

कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक  
पत्र संख्या:सीओसी-ज0सू0अ0-154 / 2014

चित्रकूटधाम

परिक्षेत्र, बॉदा।  
दिनांक: नवम्बर: 19, 2020

सेवा में,

जन सूचना अधिकारी,  
मुख्यालय पुलिस महानिदेशक,  
उ0प्र0, लखनऊ।

**विषय:**—जनसूचना अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत पुलिस महानिदेशक, पुलिस तकनीकी सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुरूप एवं जनपद सूचना अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 4(1)(ख) के अन्तर्गत अंकित बिन्दु संख्या-01 से बिन्दु संख्या-17 तक के सम्बन्ध में सूचना/अभिलेखों को उ0प्र0 पुलिस की नई वेबसाइट पर अपलोड किये जाने विषयक:—

उपर्युक्त विषयक आप अपने पत्र संख्या:डीजी-14-ज0सू0अ0-वेबसाइट-पु0त0से0 / 13 दिनांक: 11.12.2015 के सन्दर्भ में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 4(1)(ख) के अनुसार परिक्षेत्रीय शिविर कार्यालय, चित्रकूटधाम, बॉदा की निम्नलिखित सूचना उ0प्र0 पुलिस की नई वेबसाइट <http://uppolice.gov.in> पर प्रकाशित किये जाने हेतु निम्नवत् प्रेषित है।

1— परिक्षेत्र स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत एक प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, जिसमें एक जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति की गयी है।

2— जन सूचना अधिकारी की शक्तियां/कार्य—जन सूचना अधिकारी द्वारा व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा मांगी गयी सूचनाओं को अधीनस्थ जनपदों से प्राप्त कर सम्बन्धित को उपलब्ध कराना एवं सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत सम्बन्धित जनपदों को आन्तरित किया जाना।

सहायक जन सूचना अधिकारियों की शक्तियां/कार्य—अपनी शाखा से सम्बन्धित सूचना, जन सूचना अधिकारी को समय से उपलब्ध कराना।

3— प्रार्थना—पत्र प्राप्त होने पर उसका रजिस्ट्रीकरण एवं सम्बन्धित जनपदों को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत आन्तरित करना या सूचनायें प्राप्त कर सम्बन्धित को निर्धारित समय में उपलब्ध कराना।

4— निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत सूचनायें प्राप्त करना और समय से आवेदक को सूचना उपलब्ध कराना।

5— सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत दिये गये नियमों का अनुपालन करना/ कराना।

6— दस्तावेजों का श्रेणीवार विवरण निम्नलिखित है:—

- कार्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ से प्राप्त प्रार्थना पत्र।
- कार्यालय अपर पुलिस महानिदेशक से प्राप्त प्रार्थना पत्र।
- पंजीकृत डाक से प्राप्त प्रार्थना पत्र।
- शासन/अन्य से प्राप्त प्रार्थना पत्र।
- अपीलीय प्रार्थना पत्र।

7— सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

8— सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।